बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

संख्या–12 / स्था०–01–01 / 2025– 3825 पटना, दिनांक– 13.8.25

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस०एल०पी० (सी०) संख्या–7257 / 2023 शशि भूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक– 04.10.2024 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के पत्रांक– 22 दिनांक– 01.01.2025 द्वारा विज्ञापन सं0 01 / 2019 के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित 07 (सात) अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के साथ कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर–07 एवं समय–समय पर स्वीकृत अनुमान्य अन्य भत्तों के साथ परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है :–

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम / गृह जिला	पिता / पति का नाम स्थायी पता	पंजीयन संख्या	आयोग द्वारा अनुशंसित समेकित सीरियल नम्बर	जन्म तिथि	कोटि / अनुशंसित कोटि	नियुक्त अभ्यर्थी का छायाचित्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1	तारा देवी / दिल्ली (करोलबाग)	श्री राम प्रताप, 2099 / E-3A/1, गली नं०–15, प्रेम नगर, पटेल नगर, दिल्ली–110008	BR00150010070258	2510	08.03.1999	GENERAL/60-UR-Female	
2	साक्षी ठाकुर / दिल्ली	श्री प्रताप चंद ठाकुर, ए.–336, पॉकेट–00, सेक्टर–2, रोहिणी, दिल्ली–110085	BR00150010032015	2569	24.08.1996	GENERAL/60-UR-Female	

3	कोमल रामेश्वरराव गोरडे / महाराष्ट्र (यवतमाल)	श्री रामेश्वरराव गोरडे, मु. पो. मांग्लादेवी, तालुका नेर, जिला–यवतमाल	BR00150010085594	2918	29.08.1992	GENERAL/60-UR-Female	
4	आफताब आलम / कैमूर(भभुआ)	मो0 इजहार अली अंसारी, गाँव–सबार, डाकघर–सबार, थाना–करमचट, जिला–कैमूर(भभुआ), पिन–821104	BR00150010024743	4435	10.03.1991	EBC/60-EBC	
5	अविनाश कुमार / मुजफ्फरपुर	श्री शम्भू पासवान, नया टोला, नजदीक देवी लाज, पोस्ट–प्रधान डाकघर, थाना–काजी मोहम्मदपुर, जिला–मुजफ्फरपुर, बिहार	BR00150010055756	6525	22.04.1996	SC/40-SC	
6	पल्लवी राज / भागलपुर	श्री उमेश गुप्ता, वार्ड नं0–7, गाँव–औलियाबाद, पोस्ट–झंडापुर, जिला–भागलपुर, भाया–बिहपुर, बिहार–853201	BR00150010044873	8610	28.10.1999	EBC/60-EBC-Female	
7	राजेश कुमार / समस्तीपुर	श्री उमेश चौधरी, ग्रा0+पो0–शिउरा, वार्ड न0–05, थाना–पटोरी, जिला–समस्तीपुर, पिन कोड–848504 (बिहार)	BR00150010056991	9597	02.01.1994	SC/40-SC	

2. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ–पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही हैं। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के समर्पित शपथ–पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण–पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है, कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों/अभिलेखो के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं विभाग द्वारा विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।

4. यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जा रही है। यदि भविष्य में किसी भी अभ्यर्थी (नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक)) के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य/जानकारी अथवा उनसे संबंधित कोई त्रुटि/पार्थक्यता परिलक्षित होती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओ नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

5. वैसे अभ्यर्थी जो पहले से सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों/निकायों में कार्यरत है, उन्हे योगदान के समय नियोक्ता संस्थान के सक्षम प्राधिकार से निर्गत विरमन–पत्र/स्वीकृत त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में निम्न शर्तें अधिरोपित होंगे :–

(i) बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा नियोजित कनीय अभियंता नियमित सरकारी सेवक नहीं हैं। अतः आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु उनकी अनुशंसा के क्रम में संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है। नियमित नियुक्ति के उपरांत ऐसे संविदा नियोजित कनीय अभियंता संविदा नियोजन से त्याग पत्र समर्पित करने के अगले दिन ही नियमित नियुक्ति के फलस्वरूप योगदान करेंगे।

(ii) बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा नियोजित वैसे कनीय अभियंताओं जिनका आयोग द्वारा चयन के क्रम में संविदा अवधि में किये गये कार्यानुभव के लिए अंक की अधिमानता तथा अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ प्रदत्त की गयी होगी, को उनके पदस्थापित प्रमंडल में योगदान के समय उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच कर संतुष्ट होना सुनिशिचित करेंगे। कोई प्रतिकूल तथ्य/जानकारी अथवा उनसे संबंधित कोई त्रुटि/पार्थक्यता परिलक्षित होती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओ नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

(iii) जिन संविदा नियोजित कर्मियों के विरूद्ध सम्प्रति अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, उनके मामले में प्रशासी विभाग द्वारा प्रत्येक मामले को गुणा–गुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

(iv) संविदा अवधि में की गयी सेवा का किसी प्रकार का कोई लाभ नियमित नियुक्ति के उपरान्त अनुमान्य नहीं होगा।

7. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0–1964 दिनांक–31.08.2005 एवं 768 दिनांक– 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

8. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9. सभी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) के वेतनादि का भुगतान उनके पदस्थापन के उपरान्त नव पदस्थापन कार्यालयों में योगदान की तिथि से देय होगा।

SK

10. नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) के वेतनादि का भुगतान संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा उनके शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों एवं अन्य अभिलेखों के सत्यापनोपरान्त किया जायेगा।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली / माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विज्ञापन सं0 01 / 2019 (कनीय अभियंता) के विरूद्ध दायर विभिन्न वादों में पारित होने वाले अंतिम न्याय निर्णय के फलाफल से यह नियुक्ति प्रभावित होगी।

12. आयोग द्वारा अनुशंसित वैसे अभ्यर्थी जिनके विरूद्ध पूर्व से आपराधिक मामला दर्ज है अथवा नियुक्ति के उपरांत ऐसे मामलें संज्ञान में आते हैं, तो इनकी नियुक्ति पर विभाग द्वारा नियमानुकुल कार्रवाई की जा सकेगी तथा विभागीय निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

13. भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा पार्थक्यता पाये जाने पर इसे तद्नुसार संशोधित / रद्द कर दिया जायेगा।

08/8/25

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक–12 / स्था०–01–01 / 2025–3825 पटना, दिनांक– 13.8.2025

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ / अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलज़ारबाग, पटना–07 को भेजने हेतु प्रेषित।

08/8/25
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक–12 / स्था०–01–01 / 2025–3825 पटना, दिनांक– 13.8.2025

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना / वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/8/25
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक–12 / स्था०–01–01 / 2025–3825 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव (दो प्रतियों में) / प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, पथ निर्माण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना / सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना / सभी अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / निदेशक, वाल्मी, पटना / सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / सभी उप सचिव (प्रबंधन सहित), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / सभी अवर सचिव (प्रबंधन सहित), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग / सभी संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/8/25
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक–12 / स्था०–01–01 / 2025–3825 पटना, दिनांक– 13.8.2025

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/8/25
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक–12 / स्था०–01–01 / 2025–.................... पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना / आई०टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय / Common integrated website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08/8/15

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।